धनबाद, बुधवार
20.06.2018
ज्येष्ठ शुक्ल 7 संवत 2075
(18+16), मूल्य : ₹ 5
(प्रभात खबर हेल्दी लाइफ नि:शुल्क), नगर संस्करण
वर्ष : 20, अंक : 167
रजिस्ट्रेशन : आर एन 72065/99

झारखंड का सर्वाधिक प्रसारित दैनिक
प्रभात खबर
अखबार नहीं आंदोलन

prabhatkhabar.com

धनबाद । रांची । पटना । जमशेदपुर । देवघर । कोलकाता । सिलीगुड़ी । मुजफ्फरपुर । भागलपुर । गया से प्रकाशित

काउंसिल की बैठक में रखी जायेंगी जीएसटी की समस्याएं

- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर की ओर से आयोजित सेमिनार में बोले प्रधान मुख्य आयुक्त शिव नारायण सिंह

वरीय संवाददाता ▷ धनबाद

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा उत्पाद शुल्क रांची जोन के प्रधान मुख्य आयुक्त शिव नारायण सिंह ने कहा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) नयी कर प्रणाली है. इसमें व्यापार व उद्योग जगत को जो थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, उसे जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में उठाया जायेगा. श्री सिंह मंगलवार को ओजोन सेंटर में आयोजित जीएसटी सेमिनार को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने नयी कर प्रणाली केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा उत्पाद शुल्क लागू करने में जोन के प्रयासों पर चर्चा की. उन्होंने व्यापार एवं उद्योग मंडल के सदस्यों से जीएसटी में आ रही समस्याओं के बारे में पूछा. उन्होंने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा उत्पाद शुल्क धनबाद उप आयुक्तालय के अधिकारियों को कर दाताओं की समस्याओं का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के पदाधिकारी पीबी मीना ने स्वागत व सुरेंद्र अरोड़ा ने धन्यवाद ज्ञापन किया. सेमिनार में जिला चेंबर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, बैंक मोड़ चेंबर सचिव प्रभात सुरोलिया, प्रमोद गोयल, लोकेश अग्रवाल, संदीप मुखर्जी, संजय लोधा, दिनेश हेलीवाल, सीए रोहित, कन्हैया, राजेश टंडन आदि उपस्थित थे.

जीएसटी पर व्यवसायियों ने उठायी समस्या

- इनपुट टैक्स क्रेडिट में परचेजर को सेलर का भी आइटीसी देने का नोटिस भेजा जाता है.
- एक ही समान पर अलग-अलग टैक्स है, इससे परेशानी होती है.
- कंपोजिशन के रिटर्न में टैक्स फ्री आइटम पर भी टैक्स मांगा जाता है.
- कंपोजिशन को आरसीएम के दायरे से बाहर रखा जाये.